(6)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या– 111 सन् 2018–19

केष का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार–सरकार (अंचल अधिकारी,खजौली)

प्रतिपक्षीः– हीरालाल राम अंतःक्षेपक– चन्देश्वर प्रसाद यादव

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
21.9.19	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, खजौली के प्रतिवेदन पर प्रारम्भ करते हुये पक्षकारों को जमाबंदी के संबंध में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी गई। वाद संचालन के कम में एक श्री चन्देश्वर प्रसाद यादव ने अंतःक्षेपक के रूप में अपना पक्ष रखा। प्रतिपक्षी, अंतःक्षेपक, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सूनवाई के बाद उक्त वाद को आदेशार्थ रखा गया। **प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत वकालतन पक्ष का मुख्य अंशः–** 1– यह वाद मौजा–बिरौल थाना नं. 84 अंचल–खजौली अवस्थित खाता संख्या–239 खेसरा संख्या–916 रकवा 6 कट्ठा 18 धूर (29 डिसमल) में से रकवा 01 कट्टा 03 धूर (05 डी0) से संबंधित है क्योंकि खतियान में गैर मजरूआ आम रास्ता करके दर्ज है जिसका रिविजनल सर्वे खतियान खाता नं. 507 खेसरा संख्या–1649 रकवा 24 डी0 याने 05 कट्टा 05 धूर अनाबाद सर्व साधारण करके दर्ज है। 2– प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमींदार राजा बहादुर विशेश्वर सिंह, राजनगर राज की थी जिन्होंने विपक्षी के पूर्वज को वर्ष 1949 ई0 में अपने अनुचर चन्नू चमार के नाम से 01 कट्ठा 03 धूर को वसोवात बास्ते बंदोवस्त कर दिया। सेटली का सेपरेट खाता–संख्या–577 वजरिये बंदोवस्ती परवाना चन्नु चमार के नाम से कायम कर **जमाबंदी संख्या–489** कायम हुआ जो जमींदारी उन्मूलन के बाद बिहार सरकार के पंजी–II में भी दर्ज हुआ। जिसका तरमीम दिनांक– 16.01.1987 ई. में निर्गत किया गया है। उक्त भूमि पर चन्नू चमार का काबिज दाखिल होकर फुस का कच्चा घर बनाकर रहते आये जिनकी मृत्यु के बाद उनका पौत्र हीरालाल महरा वर्तमान में ईंट वो एसबेसटस के छाये चार कोठरी के मकान मय सहेन वो बाड़ी है। प्रश्नगत भूमि के अतिरिक्त विपक्षी को कोई अन्य भूमि नहीं है। प्रतिपक्षी महादलित भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में हैं। मालगुजारी रसीद अद्यतन प्रतिपक्षी के पक्ष में निर्गत हो रही है। 3– रिविजनल सर्वे के दौरान खेसरा संख्या–916 के कुल रकवा 6 कट्ठा 8 धूर में से रकवा 01 कट्ठा 03 धूर जमीन सर्वे अमलागण द्वारा चन्नु चमार की रैयती जमीन देखकर उस पर चन्नु चमार का दखल कब्जा पाकर ही छांटकर सिर्फ 24 डी0 (पॉच कट्ठा पॉच धूर) का ही रिविजनल सर्वे खतियान अनाबाद सर्व साधारण के रूप में दर्ज किया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त 01 कट्ठा 03 धूर जमीन खेसरा संख्या–916 का रैयती जमीन है जो प्रतिपक्षी का है जिसपर उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। 4– रिविजनल सर्वे खतियान में भूलवश चन्नु चमार के नाम से अलग खतियान दर्ज नहीं किया जा सका जिसका मुख्य कारण चन्नु चमार के अनपढ़ मूर्ख रहना भी एक	

बड़ा कारण था तथा खतियान को सुधार नहीं करवाया।

5– अंचल अधिकारी, खजौली ने इन्फोरमेशन चिरकुट द्वारा यह लिखित सूचना दिया कि मौजा बिरौल के तरमीन में दर्ज चन्नु चमार के नाम से बंदोवस्ती रकवा 1 कट्ठा 3 धूर गैर मजरूआ खाता नं0 239 से आया है और चन्नु चमार के नाम से दर्ज है। तब किस आधार पर वही अंचल अधिकारी प्रतिपक्षी के जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव दिया।

6– वास्तविकता यह है कि मौजा बिरौल के एक व्यक्ति चंदेश्वर यादव पिता जगदीश यादव जिसका स्वयं का आवास वो सहन बिहार सरकार के गैर मजरूआ खेसरा नं. 916 के अंश भाग में स्थित है और वही नाजायज फायदा उठाने के लिए अंचल अमला को मेल में लाकर यह वाद लाया है तथा प्रश्नगत जमीन को हड़पने की चेष्टा करता है।

7– विपक्षी ने प्रश्नगत भूमि के निसवत अपनी हकीयत की घोषणा हेतु माननीय सिविल न्यायालय में हकीयत वाद 59/2017–बनाम–बिहार सरकार दाखिल किये हैं जो सुनवाई हेतु लंबित है। इसलिए अंतिम फैसला आने तक जमाबंदी रद्द किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

8– प्रतिपक्षी की ओर से अपने कथन के समर्थन में प्रत्युत्तर के साथ, तलवाना, चालान, मालगुजारी रसीद, इन्फोरमेशन चिरकुट की छाया प्रति संलग्न किया।

श्री चन्देश्वर प्रसाद यादव, अंतःक्षेपक की ओर से प्रस्तुत वकालतन पक्ष का मुख्य अंशः–

प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम रास्ता कबल से चला आ रहा है। आवेदक का घर घरारी खाता नं. 239 खेसरा–915 के सामने सड़क है जिसपर होकर अंतःक्षेपक अपने घर से निकलकर मुख्य सड़क पर आतें–जाते हैं। विपक्षी के द्वारा रास्ता की जमीन पर घर बना लेने से अंतःक्षेपक के घर में जाने में कठिनाई होती है। आवेदक के आवेदन पर अंचल अधिकारी, खजौली द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या–16/2015 चलाया गया जिसमें पारित आदेश अतिक्रमण खाली कराने हेतु अंचल से लेकर समाहर्ता महोदय के स्तर से पुलिस बल तैनाती का आदेश हुआ। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा अतिक्रमण मुक्त का आदेश के बावजूद अबतक विपक्षी दवंगता पूर्वक अतिक्रमण कायम किये हुये हैं। जबाबंदी रद्द होने के बाद ही अतिक्रमण खाली होगा।

अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्र के सरकारी भूमि के राजस्व अभिलेखों के संरक्षक होते हैं जिनसे प्राप्त प्रतिवेदन का मुख्य अंशः–

कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान का विवरणः–

मौजा	थाना नं.	खाता	खेसरा	रकवा	किस्म
बिरौल	84	239	916	0–6–8 (छः कट्ठा आठ धूर)	रास्ता गैरमजरूआ आम

रिविजनल सर्वे खतियान का विवरणः–

मौजा	थाना नं.	खाता	खेसरा	रकवा	किस्म
बिरौल	84	507	1649	0.24 डीसमल	रास्ता अनाबाद सर्वसाधारण

उपरोक्त भूमि में से 00–01–03 (एक कट्ठा तीन धूर) पर श्री हीरालाल राम पे0 सुन्दर चमार, ग्राम–बिरौल थाना–खजौली एवं रकवा 00–05–05 (पॉच कट्ठा पॉच धूर) पर बैद्यनाथ राम ग्राम–बिरौल थाना खजौली जिला–मधुबनी हैं।
जमाबंदी संख्या–489–बनाम–हीरालाल राम, जमाबंदी संख्या–475/155–बनाम –भिखारी चमार पे0 खट्टर चमार है।
4– स्थल जॉच में उक्त भूमि वर्तमान में रास्ता के रूप में कायम है। उक्त भूमि की जमाबंदी रैयतों के नाम कायम होना संदेहास्पद है जिसे रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

5– हल्का कार्यालय में उपलब्ध रजिस्ट–II से सत्यापन में जमाबंदी नं. 489 पर 916 खेसरा रकवा 0–1–3–0 धूर अंकित है जो संदेहास्पद है स्थानीय जॉच में उपरोक्त खेसरा में वर्तमान में भी रास्ता है जिसके अंश भाग पर श्री हीरालाल राम अवैध दखलकार हैं। अतः मौजा–बिरौल के जमाबंदी संख्या–489 रैयत श्री हीरालाल राम खेसरा–916 रकवा 0–1–3 का जमाबंदी रद्दीकरण की अनुशंसा की जाती है।

विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता का विधिक रायः–

कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान एवं रिविजनल सर्वे खतियान में गैर मजरूआ आम रास्ता अनाबाद सर्व साधारण है। विपक्षी द्वारा दाखिल हकीयत वाद संख्या–59/17 जो सब जज मधुबनी के न्यायालय में लंबित है। अंचल अमला को मेल एवं दाम में लाकर यदि **जमाबंदी संख्या–489** कायम करवा लिया गया है तो वह गलत है एवं खारिज योग्य है।

निष्कर्षः–

अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्र के सरकारी भूमि के राजस्व अभिलेखों के संरक्षक होते हैं जिनसे प्राप्त प्रतिवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक राय से स्पष्ट है कि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान गैरमजरूआ आम रास्ता तथा रिविजनल सर्वे खतियान रास्ता अनाबाद सर्वसाधारण है। विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता की विधिक राय से मैं सहमत हूँ। प्रतिपक्षी ने भी अपने प्रत्युत्तर में लिखा है कि रिविजनल सर्वे खतियान में भूलवश चन्नु चमार के नाम से अलग खतियान दर्ज नहीं किया जा सका।

कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान एवं रिविजनल सर्वे खतियान के अनुसार सरकारी खाते की रैयती **जमाबंदी संख्या–489 को संदेहास्पद पाते हुये रद्द किया जाता है।** विपक्षी द्वारा हकीयत वाद संख्या–59/17 माननीय सब जज मधुबनी के न्यायालय में लंबित होना बताया गया है। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के आदेश पारित होने के संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य अद्यतन प्रस्तुत नहीं किया और न ही सुनवाई के कम में बताया गया। माननीय न्यायालय का आदेश सर्वमान्य होगा। उक्त हकीयत वाद में यदि अन्यथा आदेश पारित होता है तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, खजौली को भेजें जो अपने स्तर से प्रतिपक्षी को भी आदेश से अवगत करा देंगे।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

21.9.19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

21.9.19

अपर समाहर्ता
मधुबनी।

पत्रांक – 228 (स्था०) दिनांक 21.9.19 के आदेश की प्रति निदेशानुसार अं०अ० खजौली को प्रेषित।

21.9.19
पेशकार